न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 257 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 352)

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. पिन्द्रपाल सिह पुत्र विक्रम सिह जाति जटसिख निवासी 2 एम ढाणी तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. बाघ सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम ढाणी तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 07.08.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 04.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 112/19 में 0.192 हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेख में एकल खाता में दर्ज है। चक 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 143/40 में 0.103 हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 2 के नाम से राजस्व अभिलेख में एकल खाता में दर्ज है। वादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि उसको अपने पिता विक्रम सिंह पुत्र जगराज सिह से विरास्तन नामांतरण संख्या 534/28.10.2021 से प्राप्त हुयी है, जिसमें वादी संख्या 1 का नाम पिन्द्रपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह अंकित है, लेकिन वादी संख्या 1 के समस्त पहचान संबंधी राशन कार्ड, आधार कार्ड, चालक अनुज्ञा पत्र, पेन कार्ड, पुराना राशन कार्ड आदि दस्तावेजो में वादी संख्या 1 का नाम पिन्द्रपाल सिंह पुत्र बिकर सिंह अंकित है। वादी संख्या 1 उक्त वर्णित खाता में पिन्द्रपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह के स्थान पर अपना वास्तविक दस्तावेजी नाम पिन्द्रपाल सिंह पुत्र बिकर सिंह अंकित करवाना चाहता है। इसी प्रकार से वादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि उसको विरास्तन नामांतरण संख्या 372/05.03.2013 से प्राप्त हुयी है, जिसमें वादी संख्या 2 का नाम बाघ सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह अंकित है, लेकिन वादी संख्या 2 के समस्त पहचान संबंधी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में वादी संख्या 2 का नाम बाग सिंह पुत्र बलविन्द्र सिह अंकित है। वादी संख्या 2 उक्त वर्णित खाता में बाघ सिंह पुत्र बलविन्द्र सिह के स्थान पर अपना वास्तविक दस्तावेजी नाम बाग सिंह पुत्र बलविन्द्र सिह अंकित करवाना चाहता है। राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम में उक्त वर्णित भिन्नता होने के कारण, वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने वास्तविक नाम की घोषणात्मक का अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 112/19 में वर्णित नाम पिन्द्रपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह के स्थान पर पिन्द्रपाल सिह पुत्र बिकर सिंह व चक 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 143/40 में वर्णित नाम बाघ सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के स्थान पर बाग सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह नाम घोषित किया जाकर, उपरोक्तानुसार संशोधन करने हेतु डिक्री पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 4457 दिनांक 16.08.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 एम की जमाबन्दी में मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 4/5, 5/2 बाघसिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के नाम से तथा किला नम्बर 13/2, 14/3 पिन्द्रपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जबकि अन्य दस्तावेजों में नाम क्रमशः बाग सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह तथा पिन्द्रपाल सिंह पुत्र बीकर सिंह अंकित है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि बाघ सिंह व बाग सिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार पिन्द्रपाल सिंह के पिता का सही नाम बीकर सिंह है तथा विक्रम सिंह व बीकर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 112/19 की प्रति, चक 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 143/40 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण द्वारा राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 112/19 में अंकित नाम पिन्द्रपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह के स्थान पर पिन्द्रपाल सिह पुत्र बिकर सिंह व खाता संख्या 143/40 में वर्णित नाम बाघ सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के स्थान पर बाग सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम क्रमशः पिन्द्रपाल सिंह पुत्र बिकर सिंह व बाग सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि बाघ सिंह व बाग सिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार पिन्द्रपाल सिंह के पिता का सही नाम बीकर सिंह है तथा विक्रम सिंह व बीकर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 112/19 में अंकित नाम पिन्द्रपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह के स्थान पर पिन्द्रपाल सिह पुत्र विक्रम सिंह उर्फ बिकर सिंह व खाता संख्या 143/40 में वर्णित नाम बाघ सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के स्थान पर बाग सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
पिन्द्रपाल सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नम्बर **257/2023**
निर्णय दिनांक :- 04.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज कुमार सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एम, पटवार मण्डल फूसेवाला की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 112/19 में अंकित नाम पिन्द्रपाल सिंह पुत्र विक्रम सिंह के स्थान पर पिन्द्रपाल सिह पुत्र विक्रम सिंह उर्फ बिकर सिंह व खाता संख्या 143/40 में वर्णित नाम बाघ सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के स्थान पर बाग सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 04.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
दिनांकः 04.10.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/502
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर